रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERD No. D. (D N)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 201] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 16, 1985/आश्विन 24, 1907
No. 201] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 1985/ASVINA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1985

सं० आरएस 1/5/85-एल.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश, दिनांक 16 अक्तूबर 1985, आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा राज्य सभा को सोमवार,

18 नवंबर, 1985 को मध्याह्न-पूर्व 11.00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूं ।

16 अक्तूबर, 1985

ज़ैल सिंह,
राष्ट्रपति ।''

सुदर्शन अग्रवाल, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 1985

No. RS. 1|5|85-L.—The following Order by the President dated the 16th October, 1985, is published for general information :—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Monday, the 18th November, 1985, at New Delhi.

The 16th October, 1985.

ZAIL SINGH,
PRESIDENT."

SUDARSHAN AGARWAL, Secretary-General.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985